सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

99

निन्यानवेवां प्रतिवेदन

[कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (जेकेएचपीएमसी), श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब]

(21.12.2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन		
कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (जेकेएचपीएमसी), श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।		1
परिशिष्ट		
एक	जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमपीसी) लिमिटेड, श्रीनगर के 1997-1998 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तारीखों को दर्शाने वाला विवरण।	13
दो	वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 तक जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमसी) लिमिटेड, श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में कालानुक्रम।	14
तीन	सांविधिक निगमों और सरकारी कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा डीपीई का.ज्ञा.सं. 3(7)/2002-वित्त-जीएल xx दिनांक 28 अगस्त, 2003 के द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।	24
चार	जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के संबंध में बैक-लॉग लेखापरीक्षा को पूरा करने की समय-सीमा	27
पाँच	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) की दिनांक 07.02.2022 को हुई छठी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	28
छह	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की 15.12.2022 को हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	31

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा की संरचना

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री भरत राम मारगनी
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री सेल्लापेरुमल रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री देवेन्द्रप्पा वाई
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति का यह निन्यानवेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त, संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्तिं के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि पीएफआरडीए, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 के दस्तावेजों को निरंतर विलंब के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने पीएफआरडीए, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया और दिनांक 21.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए।

4. समिति ने 15.12.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति पीएफआरडीए, नई दिल्ली और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के अधिकारियों को समिति के समक्ष रखे जाने हेतु लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/सूचना प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली

15 दिसंबर, 2022

24 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश चन्द्र

सभापति,

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

लोक सभा

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023)

प्रतिवेदन

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (जेकेएचपीएमसी), श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।

जेकेएचपीएमसी लिमिटेड का निगमन 1978 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य फसल को तोड़ने से पहले और तोड़ने के पश्चात् प्रबंधन; राज्य के बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन में जम्मू एवं कश्मीर राज्य की सहायता करना है। विश्व बैंक की परियोजना में जम्मू-कश्मीर बागवानी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 14 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान की गई थी। निगम को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है जिसे 100 रुपये के 10 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। भारत सरकार के हिस्से की इकाइयों की संख्या 3,20,000 है जिनकी पूंजी 3.20 करोड़ रुपये की है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पास 699995 शेयर हैं जिनकी पूंजी 69999500 रुपये है। स्थानीय उत्पादकों के पास 500 रुपये की राशि के 5 शेयर हैं।

जेकेएचपीएमसी के उद्देश्य

जेकेएचपीएमसी की स्थापना भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार की सहायता करना था। इसे उत्पादकों को सेब और अन्य फलों और सब्जियों के मशीनीकृत पूर्व और कटाई के बाद के प्रबंधन, अखरोट के हलिंग और सुखाने, सेब और फलों के प्रसंस्करण और उसके लाभकारी विपणन के लिए अवसंरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस उद्देश्य के लिए निगम ने पूरी घाटी में विभिन्न सुविधाओं का निर्माण / अधिग्रहण किया। ऐसी कुल 37 इकाइयों का निर्माण किया गया था।

2. जब यह उल्लेख करने के लिए पूछे जाने पर कि किस अधिनियम, नियम, विनियमन, के अंतर्गत जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के पत्रों को सभा पटल पर रखा जा रहा है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"केंद्र सरकार जेकेएचपीएमसी लिमिटेड के सदस्यों में से एक होने के नाते, निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के पटल पर रखना आवश्यक है।"

3. यह पूछे जाने पर कि जेकेएचपीएमसी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए क्या उपबंध और समय सीमा है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394: सरकारी कंपनियों पर वार्षिक रिपोर्ट। (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क)।

"(1} जहां केंद्र सरकार एक सरकारी कंपनी का सदस्य है, केंद्र सरकार उस कंपनी के कामकाज और मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएगी-

(क) इसकी वार्षिक सामान्य बैठक के तीन माह के भीतर तैयार किया जाता है, जिसके पहले भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को धारा 143 की उप-धारा (6) के प्रावधान के तहत रखा जाता है; तथा

(ख) इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बनाई गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियों या पूरक के साथ रखी जाती है।"

इसके अलावा, डीपीई दिशा-निर्देश के तहत कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(7)/2002-फिन-जी। एल-एक्सएक्सडीटी। 29.8.08.2003 अन्य बातों के साथ-साथ बताता है कि

"पैरा 2.1: प्रशासनिक मंत्रालय जो संसद के समक्ष अपने नियंत्रण में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अधिक सतर्कता बरतने और उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित

किया जा सके कि ऐसी रिपोर्टें और लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के 09 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष रखे जाए, उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करें। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद में एक साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि सभा उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के कार्यकरण की पूरी तस्वीर रख सके। उपर्युक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल/न्यासियों की बैठक समय पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।"

"पैरा 5: समिति की उपरोक्त अनुशंसाएं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत सभी स्वायत्त निकायों पर भी लागू होती हैं। स्वायत्त संगठनों के मामले में, जो केवल अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, उन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक रिपोर्ट हमेशा लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद छह माह के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएं।"

4. यह प्रश्न पूछे जाने पर कि भारत सरकार द्वारा जेकेएचपीएमसी को वितपोषण का पैटर्न क्या है, मंत्रालय ने बताया है कि: -

"भारत सरकार के पास निगम के 320,000 इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य 100 रूपए प्रति शेयर है। केंद्र सरकार से कुल चुकता पूंजी 320,00,000 रुपए की है।

निगम कश्मीर के शोपियां जिले में एक एकीकृत ऐप्पल पैक हाउस स्थापित कर रहा है, जो कि एपीडा द्वारा 384.00 लाख रूपए की तर्ज पर वित्तपोषित है, जिसमें से निगम को केवल इस उद्देश्य के लिए 139.00 लाख रूपए की राशि प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्त के अलावा, निगम, जो एक राज्य का सार्वजनिक उपक्रम है, ने केंद्र सरकार से कोई अनुदान, ऋण या सब्सिडी प्राप्त नहीं की है।"

5. समिति ने 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में इस बात पर बल दिया है कि किसी विशेष वर्ष के लिए किसी स्वायत्त संगठन के लेखापरीक्षित लेखाओं सहित वार्षिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के 9 महीनों के भीतर सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए।इसके अतिरिक्त, यह प्रशासनिक मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे।

तथापि, यदि किसी कारणवश वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर नहीं रखा जा सका, तो संबंधित मंत्रालय को उक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या सभा की बैठक होते ही, जो भी बाद में हो, यह बताते हुए कि दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर नहीं रखे जाने का कारण बताते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा ने जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (जेकेएचपीएमसी), श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं की जांच की, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा संसद (लोक सभा) के पटल पर रखा गया था। इन पत्रों की जांच से, यह पता चला कि जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के चार वर्षों अर्थात 1997-1998 से 2000-2001 के आवश्यक दस्तावेजों को 16 से 19 वर्षों से अधिक के विलंब से 06.02.2018 को एक साथ सभा पटल पर रखा गया था। इसके अलावा, जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के अगले दस वर्षों अर्थात 2001-2002 से 2010-2011 के आवश्यक दस्तावेजों को भी एमओए एण्ड एफडब्ल्यू द्वारा एक साथ 09 से 18 वर्षों से अधिक के विलंब से 03.08.2021 को सभा पटल पर रखा गया था। इसके अलावा, जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के पिछले दस वर्षों अर्थात 2011-2012 के बाद के आवश्यक दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। विलंब की अवधि के साथ जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथियों को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

7. यह पूछे जाने पर कि वर्ष 1997-1998 से 2020-2021 के लिए जेकेएचपीएमसी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के क्या कारण हैं, मंत्रालय ने बताया कि:-

"अब तक, जेकेएचपीएमसी के पास पिछले 06 वर्षों (2015-16 से 2020-21) के लिए "लेखाओं" का बैक लॉग है। "लेखाओं" को अंतिम रूप देने में होने वाला विलंब कई कारकों पर निर्भर है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(एक) इसकी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में, निगम का मुख्य जोर ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर था।

(दो) जम्मू-कश्मीर में करीब तीन दशकों की उथल-पुथल, तख्तापलट के कारण निगम के कुछ जोनल कार्यालयों में रिकॉर्ड की क्षति हुई, जिसके परिणामस्वरूप 'लेखाओं' के संकलन/अंतिम रूप देने में विलंब हुआ।

(तीन) 'लेखाओं' को अंतिम रूप देने और 'संसद' के समक्ष उनकी प्रस्तुति में प्रारंभिक 5-6 वर्षों (संदर्भाधीन अवधि के) के सतत अंतराल के आगामी वर्षों के 'लेखाओं' को अंतिम रूप देने पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

*(चार) अत्यधिक अनियमित रूप से बहुत कम बोर्ड बैठकें (निगम के **संगम अनुच्छेद** में अधिदेशित से कम) आयोजित करना।*

*(पाँच) पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बार-बार परिवर्तन के परिणामस्वरूप जेकेएचपीएम के बीओडी **(निदेशक मण्डल)** की संरचना में परिवर्तन हुआ।*

(छः) अंतिम लेकिन इन्हें (लेखा) 'संसद' के पटल पर रखे जाने के लिए तैयार करने से पहले निगम के 'लेखा' को कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है: -

क. निगम प्रबंधन द्वारा लेखा तैयार करना और निदेशक मंडल द्वारा उनका अनुमोदन।

ख. सीएजी द्वारा नियुक्त 'सांविधिक लेखापरीक्षकों' द्वारा लेखाओं का प्रमाणन।

ग. भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सीएजी द्वारा प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा।

घ. कंपनी द्वारा अपनी एजीएम में प्रमाणित लेखाओं को अपनाना।

ङ. 'संसद' के समक्ष की प्रस्तुति के लिए अपनाए गए लेखाओं का अनुवाद और मुद्रण।

च. इसके अलावा, वर्ष 2011 में, अपने संवैधानिक लेखापरीक्षाके लिए बैकलॉग लेखाओं को तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के अपने प्रयास में, निगम ने अपने वित्त विंग के भीतर एक विशेष लेखापरीक्षा डेस्क बनाया जिसने निगम को वर्ष 1994-95 से 2010-11 तक बैक-लॉग ऑडिट को अंतिम रूप देने में सक्षम बनाया। दुर्भाग्य से सितंबर 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के कारण निगम के मुख्यालय (निगम का मुख्यालय राजबाग, श्रीनगर में स्थित है और यह क्षेत्र एक महीने से अधिक समय से 15 फीट पानी के नीचे था) और लगभग पूरे प्राथमिक रिकॉर्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। निगम पूरी तरह से नष्ट हो गया और बह गया। अभिलेखों के पुन: निर्माण में काफी समय लगा जिससे निगम अपनी बैकलॉग लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहा।"

8. मंत्रालय से वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षित लेखाओं आदि को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य समय-सीमा और प्रत्येक चरण में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लिए गए वास्तविक समय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि:-

"सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-21) द्वारा प्रदान किया गया परिशिष्ट, विधिवत भरा हुआ, परिशिष्ट-दो के रूप में संलग्न है।"

*इसे **परिशिष्ट-दो** में रखा गया है।*

9. समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मंत्रालय एवं जेकेएचपीएमसी ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है और यदि हां मंत्रालय भविष्य में इन तो,विलंब को कम करने का प्रस्ताव कैसे करता है। मंत्रालय ने उत्तर दिया है किः-

"जैसा कि ऊपर बताया गया है, देरी के कारणों के अलावा, जेकेएचपीएमसी ने निम्नलिखित चरणों की पहचान की है जिसके कारण इसके लेखें को अंतिम रूप देने में अत्यधिक देरी हुई है:

i. बोर्ड की बैठकों के आयोजन में अनियमितता और फलस्वरूप निर्दिष्ट अंतराल पर एजीएम।

ii. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा गैर-स्थानीय सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

iii. सामान्य प्रतिस्पर्धी बोली/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से द्विभाषी लेखों का हिंदी अनुवाद और मुद्रण किया जा रहा है।

लेखों को अंतिम रूप देने में देरी करने वाले उपरोक्त सभी मामलों का अब समाधान किया गया है। बोर्ड की बैठक अब नियमित अंतराल पर हो रही है। निगम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के लगातार संपर्क में है और इसने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्थानीय फर्मों को निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा निगम वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लेखा परीक्षा प्रक्रिया, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली और कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए निदेशकों की एक लेखा परीक्षा समिति के गठन का प्रस्ताव करेगा।"

10. समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एवं जेकेएचपीएमसी से आगे यह भी जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या इसने लेखाओं की लेखा परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है और अन्तत लेखा परीक्षा अधिकारियों से अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और जेकेएचपीएमसी से संगत दस्तावेजों की समय पर प्राप्ति हुई है। मंत्रालय ने उत्तर दिया है किः-

"मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा जारी संख्या डीपीई ओ.एम. सं. 3(7)/2002-एफआईएन.-जीएल- एक्सएक्स, दिनांक 28 अगस्त, 2003 के माध्यम से व्यापक दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है, जो कि स्वायत निकायों और सरकारी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को रखने के संबंध में है। कृपया परिशिष्ट-तीन देखें।"

अतः डीपीई के कार्यालय ज्ञापन की प्रति, प्रस्तुत की गई है, इस प्रतिवेदन के **<u>परिशिष्ट-तीन</u>** में संलग्न है।

11. समिति ने मंत्रालय से यह भी पूछा कि क्या मंत्रालय/जेकेएचपीएमसी को दस्तावेजों आदि का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक आयोजित करने से संबंधित किसी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है किः -

"बोर्ड की बैठकें आयोजित करने में अनियमितता किसी प्रक्रियात्मक कठिनाई के कारण नहीं बल्कि मुख्य रूप से प्रशासनिक कारणों से रही है।"

12. समिति ने लेखांकन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में पूछा ताकि लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन को सुविधाजनक बनाया जा सके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है किः -

"निगम का वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेखांकन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण को आउट-सोर्स करने का प्रस्ताव है।"

13. समिति ने तत्पश्चात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से यह पूछा कि क्या जेकेएचपीएमसी के पास वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा प्रश्नों को न्यूनतम करने के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र है और क्या मंत्रालय में इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी करने के लिए कोई आंतरिक तंत्र है ताकि जेकेएचपीएमसी के दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखा जा सके, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है किः -

"निगम में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र (आईएएम) मौजूद है। तथापि, वर्तमान में उक्त आईएएम निगम के लगभग सभी लेखा प्रबंधकों के सेवानिवृत्त होने के कारण कमजोर हो गया है। निगम के अपने लेखाओं का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों की वर्तमान संख्या समाप्त हो गई है और इसलिए अपर्याप्त है। इसके अलावा, नई भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ, निगम ने अब सैद्धांतिक रूप से आईएएम को आउट-सोर्स करने का निर्णय लिया है।"

"दस्तावेजों को समय पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय जेकेएचपीएमसी प्रबंधन के साथ लगातार संपर्क में है।"

14. समिति ने मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया कि मंत्रालय/जेकेएचपीएमसी, दोनों द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर एक नोट प्रस्तुत करें ताकि दस्तावेजों को संसद के समक्ष समय पर सभा पटल पर रखा जा सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"मंत्रालय/जेकेएचपीएमसी ने निम्नलिखित उपायों को अपनाकर वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब को कम करने का प्रस्ताव किया है:-

(क) *त्वरित पूरक लेखा परीक्षा और सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सीएंडएजी और जेकेएचपीएमसी के कार्यालय के साथ सक्रिय समन्वय।*

(ख) *निगम के लेखों को अंतिम रूप देने की स्थिति की निदेशक मंडल द्वारा निरंतर निगरानी।*

(ग) *नियमित अंतराल पर बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठकों का आयोजन करना।*

(घ) *बैक-लॉग एकाउंटस के तत्काल संकलन के लिए कर्मचारियों की कमी की चुनौती को दूर करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा के भीतर संपूर्ण बैक-लॉग ऑडिट को अंतिम रूप देना और प्रशिक्षित लेखा कर्मियों की नियुक्ति।*

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुवाद और मुद्रण के लिए रिपीट-ऑर्डर ताकि सामान्य निविदा प्रक्रिया से कम से कम बैक-लॉग ऑडिट (2020-21) को अंतिम रूप देने तक समय की बचत हो सके।"

15. तत्पश्चात् समिति ने यह जानना चाहा कि वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 तक के जेकेएचपीएमसी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और इन्हें किस तरह शीघ्र सभा पटल पर रखे जाने की आशा है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"लेखापरीक्षा की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार दी गई ***है:***

जिस वर्ष तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और संसद के पटल पर रखा गया	*वर्ष 2010-11*
कंपनी द्वारा अपनी एजीएम में अपनाए जाने के लिए लेखापरीक्षित लेखे। (आवश्यक एजीएम न होने के कारण मंत्रालय को अंतिम लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई)	*वर्ष 2011-12 से2014-15 तक*
दिनांक ***17/01/2022*** *को सीएंडएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करने के तहत अनुमोदित मसौदा लेखे।*	*वर्ष 2015-16 से2019-20 तक*
लेखों का संकलन किया जा रहा है।	*वर्ष 2020-21*

निगम परिशिष्ट-चार में इंगित समय-सीमा के अनुसार फरवरी 2023 के अंत तक वित्त वर्ष 2020-21 तक के संपूर्ण बैक-लॉग ऑडिट को समाप्त करने का प्रयास करता है।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

18. समिति, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (जेकेएचपीएमसी), श्रीनगर के वर्ष 1997-1998 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के मामले की जांच के खुलासे से आश्चर्यचकित है। समिति पाती है कि जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के चार वर्षों अर्थात 1997-1998 से 2000-2001 के आवश्यक दस्तावेजों को 16 से 19 वर्षों से अधिक के विलंब से 06.02.2018 को एक साथ सदन में रखा गया था। इसके अलावा, जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के अगले दस वर्षों अर्थात 2001-2002 से 2010-2011 के आवश्यक दस्तावेजों को भी सामूहिक रूप से 09 से 18 वर्षों से अधिक के विलंब से 03.08.2021 को सदन में रखा गया था। इसके अलावा, जेकेएचपीएमसी, श्रीनगर के पिछले दस वर्षों अर्थात 2011-2012 के बाद के आवश्यक दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

समिति, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 और किसी संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से प्रस्तुत करने के संबंध में इस समिति की सिफारिशों के उल्लंघन को नोट करती है। इसलिए, समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मौखिक साक्ष्य के दौरान दिए गए आश्वासन के अनुसार वर्ष 2011-2012 से जेकेएचपीएमसी के सभी लंबित आवश्यक दस्तावेजों को सदन में रखने और वर्ष 2021-2022 के बाद के आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखने की सिफारिश करती है।

19. समिति, जेकेएचपीएमसी के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में बताए गए कई कारणों यथा जम्मू-कश्मीर राज्य में विद्रोह; प्रारंभिक वर्षों में लेखाओं को अंतिम रूप देने में निरंतर विलंब; निगम के संगम-अनुच्छेद में अनिवार्य की गई बोर्ड की बैठकों की संख्या से कम बैठकें आयोजित करना; पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बार-बार परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप जेकेएचपीएमसी के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन हुआ; सीएजी द्वारा गैर-स्थानीय सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और हिंदी अनुवाद और बाद में द्विभाषी लेखाओं के मुद्रण को नोट करती है।

समिति महसूस करती है कि मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों आदि के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के लिए जिम्मेदार है, और इसलिए, उसे अधिक सतर्कता बरतने और उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे प्रतिवेदनों और लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर संसद में रखा जा सके। तथापि, समिति पाती है कि वर्तमान मामले में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में जेकेएचपीएमसी के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने और उसके लिए उपचारात्मक कदम उठाने में पूर्णतः विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत विलंब हुआ है। समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से हुई इस लापरवाही के कारणों को जानना चाहती है।

20. समिति नोट करती है कि जेकेएचपीएमसी में एक आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र (आईएएम) है, लेकिन मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति और नई भर्ती पर प्रतिबंध के कारण इसके लेखा अनुभाग में कर्मचारियों की कमी से इसका कार्य बाधित होता है। समिति सिफारिश करती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को अपने आईएएम को आउटसोर्स करने के अपने निर्णय को तुरंत कार्यान्वित करने में जेकेएचपीएमसी का मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगम में लेखांकन कार्य अब और बाधित न हो।

21. समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से यह नोट करने का आग्रह करती है कि अपरिहार्य कारणों से, इसके नियंत्रणाधीन किसी संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को विलंब से सभा पटल पर रखने की स्थिति में, निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण 30 दिनों के भीतर सभा पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए, जैसाकि समिति के द्वारा अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई है।

नई दिल्ली

15 दिसंबर, 2022

24 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश चन्द्र

सभापति,

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

लोक सभा

<u>परिशिष्ट-एक</u>

<u>प्रतिवेदन का पैरा 05 देखें</u>

जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमपीसी) लिमिटेड, श्रीनगर के 1997-1998 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तारीखों को दर्शाने वाला विवरण।

वित्त वर्ष	जिस तारीख तक वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखा जाना था	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तारीख	विलंब की अवधि
1997-1998	31.12.1998	06.02.2018	19 वर्ष 01 माह 06 दिन
1998-1999	31.12.1999	06.02.2018	18 वर्ष 01 माह 06 दिन
1999-2000	31.12.2000	06.02.2018	17 वर्ष 01 माह 06 दिन
2000-2001	31.12.2001	06.02.2018	16 वर्ष 01 महीने 06 दिन
2001-2002	31.12.2002	03.08.2021	18 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2002-2003	31.12.2003	03.08.2021	17 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2003-2004	31.12.2004	03.08.2021	16 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2004-2005	31.12.2005	03.08.2021	15 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2005-2006	31.12.2006	03.08.2021	14 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2006-2007	31.12.2007	03.08.2021	13 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2007-2008	31.12.2008	03.08.2021	12 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2008-2009	31.12.2009	03.08.2021	11 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2009-2010	31.12.2010	03.08.2021	10 वर्ष 07 महीने 03 दिन
2010-2011	31.12.2011	03.08.2021	9 वर्ष 7 महीने 3 दिन
2011-2012	31.12.2012	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2012-2013	31.12.2013	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2013-2014	31.12.2014	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2014-2015	31.12.2015	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2015-2016	31.12.2016	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2016-2017	31.12.2017	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2017-2018	31.12.2018	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2018-2019	31.12.2019	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2019-2020	31.12.2020	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2020-2021	31.12.2021	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-

परिशिष्ट-दो

प्रतिवेदन का पैरा 08 देखें

वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 तक जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमसी) लिमिटेड, श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में कालानुक्रम।

क्रमसं.	बिन्दु	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क की तारीख	8/29/2019	8/29/2019	8/29/2019	8/29/2019
	लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा समय	7 वर्ष 5 माह	6 वर्ष 5 माह	5 वर्ष 5 माह	4 वर्ष 5 माह
2	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	9/27/2019	9/27/2019	9/27/2019	9/27/2019
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के बाद लिया गया समय	29 दिन	29 दिन	29 दिन	29 दिन
3	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि	9/30/2019	9/30/2019	9/30/2019	9/30/2019
	लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	7 वर्ष 6 माह	6 वर्ष 6 माह	5 वर्ष 6 माह	4 वर्ष 6 माह
4	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	6/22/2021	7/31/2021	7/31/2021	7/31/ 2021
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	9 वर्ष 2 माह	8 वर्ष 4 माह	7 वर्ष 4 माह	6 वर्ष 4 माह
5	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की तिथि और अवधि	2-8-2021 से 08-9-2021 (4-वर्ष के लेखाओं के ब्लॉक के लिए 1 माह 08 दिन)			

6	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान वार्षिक / लेखाओं को पूरा करने के बाद उठाए गए प्रश्नों की तिथि	8/10/2021	8/19/2021	8/29/2021	9/8/2021
	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान वार्षिक / लेखाओं को पूरा करने के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के समक्ष प्रश्न उठाने में लेखापरीक्षकों द्वारा लिया गया समय	8 दिन	8 दिन	8 दिन	8 दिन
7	लेखापरीक्षकों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख।	8/12/2021	8/23/2021	9/4/2021	9/12/2021
	प्रश्नों को हल करने में लगने वाला समय	2 दिन	4 दिन	6 दिन	4 दिन
8	तिथि जिस पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी।	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
	वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के बाद लिया गया समय	09-9-2021 से 11-10-2021 (4-वर्ष के लेखाओं के ब्लॉक के लिए 1 माह 02 दिन)			
9	दिनांक जिस पर संस्थान को अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई।	12/2/2021	12/4/2021	12/6/2021	12/9/2021
	प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के बाद लिया गया समय (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा)	11-10-2021 से 9-12-2021 (4-वर्ष के लेखाओं के ब्लॉक के लिए 1 माह 30 दिन)			
10	निगम को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा लिया	(22-06-2021 से 9-12-2021) 4- वर्ष के लेखाओं के ब्लॉक के लिए 5 माह और 17 दिन			

	गया कुल समय। (सांविधिक लेखा परीक्षा + पूरक लेखा परीक्षा)				
11	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तिथि	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं पर अंतिम टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण, वार्षिक प्रतिवेदनों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।			
	वित्तीय वर्ष समापन होने के बाद लिया गया समय	-	-	-	-
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	-	-	-	-
12	जिस तारीख को दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।	मार्च 2022 में होने वाली स्थगित एजीएम			
	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	-	-	-	-
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	-	-	-	-
13	जिस तिथि को दस्तावेजों को अनुवाद और मुद्रण के लिए लिया गया था	-	-	-	-
	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय	-	-	-	-
14	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा होने के बाद सदन में रखे जाने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने की तिथि।	अप्रैल/मई 2022 में प्रेषण के लिए निर्धारित			
	मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में निगम द्वारा लिया गया समय				

15	सदन में दस्तावेज रखने की तिथि।	-	-	-	-
	संगठन से दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद लिया गया समय	-	-	-	-

क्र.सं.	बिंदु	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020- 21
1	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क की तारीख	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
	लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा समय	5 वर्ष 8 माह	4 वर्ष 8 माह	3 वर्ष 8 माह	2 वर्ष 8 माह	1 वर्ष 8 माह	8 माह
2	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	1/17/2022	1/17/2022	1/17/2022	1/17/2022	अभी तक नियुक्त नहीं	अभी तक नियुक्त नहीं
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के बाद लिया गया समय	37 दिन	37 दिन	37 दिन	37 दिन	-	-
3	वार्षिक लेखों के संकलन की तिथि	9/30/2019	9/30/2019	9/30/2019	9/30/2019	12/24/2020	संकलन के तहत
	लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	3 वर्ष 6 माह	2 वर्ष 6 माह	1 वर्ष 6 माह	6 माह	8 माह 23 दिन	
4	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत करने के अधीन					
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	5 वर्ष 10 माह	4 वर्ष 10 माह	3 वर्ष 10 माह	2 वर्ष 10 माह	1 वर्ष 10 माह	

5	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की तिथि और अवधि	-	-	-	-	-	-
6	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं को पूरा करने के बाद उठाए गए प्रश्नों की तिथि	-	-	-	-	-	-
	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखाओं को पूरा करने के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के समक्ष प्रश्न उठाने में लेखापरीक्षकों द्वारा लिया गया समय	-	-	-	-	-	-
7	लेखापरीक्षकों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख।	-	-	-	-	-	-

	प्रश्नों को हल करने में लगने वाला समय	-	-	-	-	-	-
8	तिथि जिस पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी।	-	-	-	-	-	-
	वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के बाद लिया गया समय	-	-	-	-	-	-
9	दिनांक जिस पर संस्थान को अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई।	-	-	-	-	-	-
	प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के बाद लिया गया समय (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा)	-	-	-	-	-	-
10	निगम को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा	-	-	-	-	-	-

	अधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय। (सांविधिक लेखा परीक्षा + पूरक लेखा परीक्षा)						
11	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तिथि	-	-	-	-	-	-
	वित्तीय वर्ष समापन होने के बाद लिया गया समय	-	-	-	-	-	-
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	-	-	-	-	-	-
12	जिस तारीख को दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।	-	-	-	-	-	-
	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	-	-	-	-	-	-
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद	-	-	-	-	-	-

	लिया गया समय						
13	जिस तिथि को दस्तावेजों को अनुवाद और मुद्रण के लिए लिया गया था	-	-	-	-	-	-
	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय						
14	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा होने के बाद सदन में रखे जाने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने की तिथि।	-	-	-	-	-	-
	मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में निगम द्वारा लिया गया समय	-	-	-	-	-	-
15	सदन में दस्तावेज रखने की तिथि।	-	-	-	-	-	-
	संगठन से दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद लिया गया समय	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:

1- *सीएजी द्वारा 04 वित्तीय वर्षों या बैंक लॉग अवधियों के ब्लॉक के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। यह बैंक लॉग खातों पर लेखा परीक्षा को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।*

   वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित खातों को 11-12-2021 को कंपनी अधिनियम की धारा 619 के पूरक लेखापरीक्षण के लिए सी एंड ए जी को अग्रेषित किया गया था।

2- *लेखापरीक्षा अधिकारी ने उक्त खातों पर दिनांक 03-01-2022 को प्रारंभिक टिप्पणियां जारी की जिन का उत्तर निगम द्वारा 14-01-2022 को दिया गया। उक्त खातों पर सी एंड ए जी की अंतिम टिप्पणियां आज की तिथि में लंबित हैं।*

परिशिष्ट-तीन

सांविधिक निगमों और सरकारी कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा डीपीई का.ज्ञा.सं. 3(7)/2002-वित्त-जीएल xx दिनांक 28 अगस्त, 2003 के द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सांविधिक निगमों और सरकारी कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे सभापटल पर रखना।

आरईएफ:- बीपीई/जीएल-020/76/वित्त/14(1)/विज्ञापन (एफ)/76 दिनांक 8.7.76

बीपीई 14(1)/विज्ञापन(एफ)/76 दिनांक 30.4.77

बीपीई/जीएल-030/77/वित्त/14(2)/77 दिनांक 22.9.77

अधोहस्ताक्षरी को संसद के समक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करने वाले उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों को संदर्भित करने का निर्देश दिया जाता है और इन सभी तीनों कार्यालय ज्ञापनों को एक में विलय करने के विषय पर एक समेकित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रबंधन के कॉर्पोरेट रूप के तहत संचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम होते हैं, जो विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण में होते हैं। "सभापटल पर रखे गए पत्रों" पर संसदीय समिति ने सभापटल पर रखे गए पत्रों से संबंधित मुद्दों की जांच की है जैसे कि पत्रों को रखने में देरी, पत्रों को रखने के लिए वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन आदि। समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अनुपालन के लिए सूचीबद्ध है:-

2.1. उन प्रशासनिक मंत्रालयों, जो संसद के समक्ष उनके नियंत्रण में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की रिपोर्ट रखने के लिए जिम्मेदार हैं, को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सतर्कता बरतने और उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है कि ऐसी रिपोर्ट और लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष रखे जाएं। वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे एक साथ संसद में प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि सदन को उस

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कामकाज की पूरी तस्वीर मिल सके। निदेशक मंडल/न्यासी की बैठक उपर्युक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय पर आयोजित करने की आवश्यकता है।

2.2. एकरूपता की दृष्टि से और रिपोर्टों और लेखों को रखने में देरी से बचने के लिए, प्रत्येक सीपीएसयू को अपने लेखों को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा करना चाहिए और उन्हें लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर, यदि कोई हों, पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके बाद रिपोर्ट के अनुवाद और मुद्रण को पूरा किया जाना चाहिए ताकि रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखों को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने के भीतर संसद के समक्ष रखा जा सके। यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं रखे जा सकें तो संबंधित मंत्रालय को निर्धारित अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जैसे ही संसद की बैठक होती है, इस तरह की देरी के कारण को स्पष्ट करने वाले बयान के साथ रखा जाना चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एक समय सारिणी तैयार करनी चाहिए ताकि उचित निगरानी की जा सके और वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को निर्धारित अवधि के भीतर रखा जा सके।

2.3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिपोर्टों और लेखों का हिन्दी संस्करण उसके अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ तैयार किया जाए ताकि दोनों संस्करणों को एक साथ संसद के समक्ष रखा जा सके। हालांकि, अपवादात्मक मामलों में, जहां दोनों संस्करणों को एक साथ रखना संभव नहीं है, मंत्रालय/विभाग को एक संस्करण को रखते समय दूसरे संस्करण को नहीं रखने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक बयान देना चाहिए। ऐसे मामलों में दूसरा संस्करण या तो उसी सत्र में या अधिक से अधिक अगले सत्र के अंत तक पटल पर रखा जाना चाहिए।

3. उपर्युक्त सिफारिशों में निर्धारित समय सीमा बाहरी सीमा है जिसके भीतर रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए और जहां अनुपालन दस्तावेज निर्धारित अवधि के भीतर नहीं होते हैं, मंत्रालय को समाप्ति के 30 दिनों के भीतर रखना आवश्यक है रिपोर्ट और लेखों को निर्धारित अवधि के भीतर क्यों नहीं रखा जा सका, इसके कारणों की व्याख्या करने वाला एक विवरण।

4. एक सरकारी कंपनी की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखते समय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय भी रिपोर्ट के साथ कंपनी के कामकाज की समीक्षा करता है। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां सरकार कंपनी की रिपोर्ट में दी गई जानकारी से सहमत है और उनके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, सरकार को रिपोर्ट के साथ एक विवरण को यह कहते हुए पटल पर रखना चाहिए कि वे रिपोर्ट से सहमत हैं और इसलिए कोई समीक्षा रिपोर्ट नहीं रखी जा रही है।

5. समिति की उपरोक्त सिफारिशें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सभी स्वायत्त निकायों पर भी लागू होती हैं। स्वायत्त संगठनों के मामले में, जो केवल अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक रिपोर्टें लेखा वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर संसद के समक्ष अनिवार्य रूप से रखी जाती हैं।

6. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त समेकित निर्देशों पर ध्यान दें और इन निर्देशों का पालन करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसयू और अन्य स्वायत्त संगठनों को सलाह दें।

7. यह इस विभाग द्वारा 8.6.76, 3.4.77 और 29.9.77 को जारी किए गए उक्त तीन कार्यालय ज्ञापनों का अधिक्रमण करता है।

(डीपीई का.ज्ञा.सं.3(7)/2002-एफआईएन-जीएल-एक्सएक्स दिनांक 28 अगस्त, 2003)

***

परिशिष्ट -चार

जेकेएचपीएमसी लिमिटेड, श्रीनगर के संबंध में बैक-लॉग लेखापरीक्षा पूरा करने की समय-सीमा

वित्त वर्ष	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्टूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22	जनवरी-23	फरवरी-23
2011-12 से 2014-15	लेखा - परीक्षित अनुमोदन के लिए बीओडी बैठक	अपनाने के लिए एजीएम	अनुवाद और मुद्रण	संसद को प्रेषण									
2015-16 से 2018-19		बीओडी द्वारा अनुमोदित मसौदा लेखा। सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत	कैग ऑडिट	बीओडी बैठक	एजीएम	अनुवाद और मुद्रण	संसद को प्रेषण						
2019-20	बीओडी द्वारा अनुमोदित मसौदा लेखा। सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत				सांविधिक लेखा परीक्षा -	कैग	बीओडी बैठक	एजीएम	अनुवाद और मुद्रण	संसद को प्रेषण			
2020-21	मसौदा लेखा संकलाधीन				सांविधिक लेखा परीक्षा -	कैग	बीओडी बैठक	एजीएम	अनुवाद और मुद्रण	संसद को प्रेषण			
2021-22								सांविधिक लेखा परीक्षा -	कैग ऑडिट	बीओडी बैठक	एजीएम	अनुवाद और मुद्रण	संसद को प्रेषण

*****

परिशिष्ट-पांच

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

समिति की छठी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 07 फरवरी, 2022 को 14:30 बजे से 15:50 बजे तक समिति कक्ष "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - **सभापति**

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री टी प्रथापन .एन .

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

साक्षी

(एक)कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

1. श्री अभिलक्ष लिखी - अपर सचिव
2. श्री प्रमोद कुमार मेहर्दा - संयुक्त सचिव
3. श्रीमती शोमिता बिस्वास - संयुक्त सचिव
4. श्री अभिजित चक्रवर्ती - उप सचिव
5. श्रीमती गुरुप्रीत गढ़ोक - उप सचि -

(दो) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमपीसी) लिमिटेड, श्रीनगर

1. श्री शफात सुल्तान - प्रबंध निदेशक, जेकेएचपीएमपीसी
2. श्री परवेज मकबूल शाह - सलाहकार

(तीन) X X X X X

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची के बारे में बताया।

3. तत्पश्चात, समिति ने जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमपीसी) लिमिटेड, श्रीनगर जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, के वर्ष 1997-1998 से 2020-2021 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया।

तत्पश्चात, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) और जेकेएचपीएमपीसी लिमिटेड, श्रीनगर के साक्षियों को अंदर बुलाया गया।

4. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) और जेकेएचपीएमपीसी लिमिटेड, श्रीनगर के प्रतिनिधियों से इस विषय पर अर्थात जेकेएचपीएमपीसी लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1997-1998 से 2020-2021 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने का अनुरोध किया गया था।

5. सभापति ने समिति की बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) और जेकेपीएचपीएमसी लिमिटेड, श्रीनगर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और

उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में भी साक्षियों को बताया।

6. मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सबसे पहले जेकेएचपीएमसी लिमिटेड की उत्पत्ति और कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। तत्पश्चात, सभापति ने उन विभिन्न कारकों के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच से समिति के निष्कर्षों को सामने रखा, जिसके कारण वर्ष 1997-1998 से 2020-2021 तक जेकेएचपीएमसी लिमिटेड के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब हुआ था। समिति ने इस संबंध में कृषि और किसान कल्याण विभाग की भूमिका पर सवाल उठाया और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय में समीक्षा की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और साथ ही, मंत्रालय ने विगत में, संगठन को समय पर अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कई बार याद दिलाया था, हालांकि, उत्तर में, संगठन ने इस संबंध में विभिन्न तर्क दिए हैं।

7. सभापति ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण की सिफारिश की, जहां अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक चरण को पूरा करने की और उसके स्वचालित अनुस्मारक तैयार करने की समय-सीमा उपलब्ध कराई गई है। सभापति ने दोषी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उन्हें फटकार लगाने का भी सुझाव दिया। मंत्रालय को यह भी सुझाव दिया गया था कि लेखापरीक्षा प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सीएण्डएजी के कार्यालय के साथ दृढ़तापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। श्री पल्लब लोचन दास, संसद सदस्य और समिति के सदस्य ने जेकेएचपीएमपीसी लिमिटेड के अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के संबंध में इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रणाली और समय-सीमा के बारे में पूछा।

8. प्रतिनिधि ने समिति को आश्वासन दिया कि वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 तक के आवश्यक दस्तावेज मई, 2022 तक और वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 तक के अपेक्षित दस्तावेज अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने आगे यह भी आश्वासन दिया कि नवंबर, 2022 तक वे सारा बैकलॉग खत्म कर देंगे। समिति को यह भी आश्वासन दिया गया कि समिति की सलाह के अनुसार उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे।

9. सभापति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) और जेकेएचपीएमपीसी लिमिटेड, श्रीनगर के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में अपने स्वतंत्र और स्पष्ट विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें समिति के समक्ष डिजिटलीकरण संबंधी कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा।

तत्पश्चात, जेकेएचपीएमपीसी लिमिटेड, श्रीनगर के साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

10-14 X X X X X

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की 15.12.2022 को हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023)

समिति की बैठक गुरुवार, 15 दिसंबर 2022 को 15:00 बजे से 15:50 बजे तक समिति कक्ष '2', ब्लॉक-ए, संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - **सभापति**

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री देवेन्द्रप्पा वाई.

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

X X X X X

2. प्रारंभ में, माननीय सभापति ने समिति की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. **x x x x x**

4. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित तीन मूल प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए विचार किया :-

(i) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब;

(ii) **x x x x x**; और

(iii) **x x x x x** ।

उपरोक्त प्रतिवेदनों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और समिति द्वारा अध्यक्ष को इन तीन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें लोक सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

5-8. **x x x x x**

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

XX विषय से असंबंधित साक्ष्य की कार्यवाही को अलग से रखा गया है।

गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में अनुवादित